गाँव के दस्तावेज

Working Paper – 10

Tata Institute of Social Sciences
Patna Centre

पंचायती, जाति और न्याय

विवेक आनंद

March 2019

गाँव के दस्तावेज

Tata Institute of Social Sciences
Patna Centre

पंचायती, जाति और न्याय

विवेक आनंद

March 2019

Working Paper – 10

Publication : March 2019

Publisher :
Tata Institute of Social Sciences, Patna Centre
Takshila Campus
DPS Senior Wing
Village: Chandmari, Danapur Cantonment
Patna – 801502 (Bihar) INDIA
Phone: +91 7781 950 665
E-mail: patnacentre@tiss.edu
Website: www.tiss.edu

Printed by :
Kala Mudran
B/80, Narain Niwas, Buddha Colony
Patna - 800008 (Bihar) INDIA

This Publication is supported by the Takshila Educational Society.

पंचायती, जाति और न्याय

विवेक आनंद

I

जब मैं शर्मा यादव (स्थानीय राजद नेता) के घर के सामने से गुजर रहा था तो सहसा मेरी नजर उन पर और उनकी मुझ पर पड़ी। उनके बारे में गाँव में कहा जाता है कि उनसे मिलने वालों को उनके समय की चिंता करने की बजाय अपने समय का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने आवाज देकर मुझे बुलाया और बताया कि दुधहा टोले में झगड़ा हुआ है जिसकी पंचायती अगले दिन 11–12 बजे दुधहा टोले में होनी है। पूछने पर पता चला कि चमार जाति के एक लड़के को यादवों के लड़कों ने पीट दिया और बदले में चमारों के लड़कों ने यादव जाति के एक लड़के को। दोनों तरफ से फौजदारी हुई है और 'हरिजन ऐक्ट' लगा है।

दुधहा टोला मियाँ के भटकन गाँव का एक टोला है जहाँ यादव और चमार जाति के लोग रहते हैं। सिवान के क्षेत्र में चमार जाति को हरिजन के नाम से बुलाने की परंपरा बदस्तूर जारी है। दुधहा टोला मियाँ के भटकन गाँव से ज्यादा दूर नहीं है। पैदल जाने में करीब दस मिनट लगते हैं। मियाँ के भटकन की मुख्य सड़क पर अवस्थित मस्जिद के बगल से एक खरंजा (ईंट जोड़कर बनी सड़क) निकलता है जो दुधहा टोला होते हुए बंगरा गाँव की ओर चला जाता है।

मैं पहली बार उस सड़क से गुजर रहा था इसलिए आसपास की जगहों और मकानों को ध्यान से देखता जा रहा था। मुख्य सड़क से गुजरते वक्त सामने की तरफ मुस्लिम बस्ती में ज्यादातर मकान पक्के दिखे और साफ–सफाई नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ से बस्ती का अंदरूनी हिस्सा दिखा जो सामने वाली बस्ती से काफी अलग लगा। बहुत घने अधपक्के मकान, खुली नालियाँ, गंदा काला बहता पानी और उसमें तैरतीं रंग–बिरंगी प्लास्टिक की थैलियाँ। बाहर की तरफ वाली बस्ती में शेख रहते हैं जबकि पीछे वाली बस्ती में अंसारी। ज्यादातर अंसारी भूमिहीन हैं। कभी गाँव के जमींदार शेख हुआ करते थे पर अब जमींदारी नहीं रही।

रास्ते में मुझे दो पुलिया मिली जो सड़क से ऊँची थीं, इतनी ऊँची कि अगर कोई कार वहाँ से गुजरे तो उसका चैंबर टूट जाए। शायद इसी वजह से गाँव में बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां प्रचलित हैं। मुख्य सड़क और दुधहा बस्ती के बीच पहले एक मजार आता है, फिर काली माई स्थान। काली माई स्थान पोखरे के भिंडा पर है जिसके आजू–बाजू छट्ठी मैया के चबूतरे

विवेक आनंद फिलवक्त टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के तहत बिहार के सिवान जिले में मियाँ के भटकन पंचायत में सामाजिक अनुसंधान में संलग्न हैं।

Working Paper

हैं। पोखरे के एक कोने पर एक पुलिया थी जिससे पानी पोखरे में आता होगा। इस समय पोखरे में पानी नहीं था। इस इलाके के ज्यादातर पोखरों में इस मौसम में जब पानी नहीं होता तब क्रिकेट की पिचें दिखती हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि इलाके में खेल के मैदान कम हों। गर्मी का मौसम दस्तक देने ही वाला है। खेतों से राई और सरसो उखाड़ ली गयी हैं और गेहूँ पकने के इंतजार में है।

टोले में प्रवेश करते ही कुछेक घरों के बाद दाहिनी तरफ शैलेश यादव के पटीदार का दालान था जिसके खपड़े काले पड़ चुके थे। वहीं पीपल के पेड़ के नीचे, चापाकल के बगल में, शर्मा यादव और कमलेश पंडित बैठे दिखे। पीपल का पेड़ बहुत पुराना था जिसकी एक डाल शैलेश यादव के घर में घुस गयी थी। दालान की एक दीवाल से दूसरी दीवाल तक एक अरगनी खिंची हुई थी जिस पर पीले, मैले कुर्ते, शर्ट, धोती, पैंट और साड़ी लटकी थी। दालान की दोनों दीवालों पर सरसो के बोझे अड़ा कर रखे गये थे। दालान के बाहर घास काटने वाली मशीन लगी थी जिसमें आधा सूखा घास–फूस पड़ा था।

चार–पाँच प्लास्टिक की रंग–बिरंगी और एक–आध लकड़ी की सीधी पीठ वाली कुर्सियाँ लगी थीं। पीछे तीन खटिया बिछी थीं जिसपर कुछ ग्रामीण बैठे थे। मुझे देखते ही कमलेश पंडित (सरपंच के देवर) और शर्मा यादव ने अभिवादन किया और पास ही खड़े शैलेश को कुर्सी लाने को बोला। तीन कुर्सियाँ और लायी गयीं। मेरे साथ गाँव के एक बुजुर्ग भी कुर्सी पर आ बैठे।

कमलेश पंडित ने चकित मुद्रा में मुझसे पूछा, ''आप कैसे आ गए? पंचायती देखने आये हैं?''

मैंने हाँ में जवाब दिया तो वह बोल पड़े, ''अच्छा है, देखना चाहिए। देखिएगा क्या–क्या होता है। बहुत पचड़ा है।''

खटिया पर बैठे ग्रामीण मुझे गौर से देख रहे थे क्योंकि उनके लिए मैं नया था। तभी मास्टर खेमचंद्र राम (प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, मियाँ के भटकन) और नियामत अंसारी (राजद कार्यकर्ता) एक मोटरसाइकिल पर आ पहुंचे। खेमचंद्र राम ने मुझसे कुशलक्षेम पूछने के बाद शर्मा यादव से पूछा कि बाकि लोग कहाँ हैं। शर्मा यादव ने किसी से कहा कि फोन करो और किसुन राम से पूछो कि क्या करना है?

थोड़ी देर की शांति के बाद नियामत अंसारी ने श्यामप्रसाद साह (इनकी मियाँ के भटकन गाँव के नुक्कड़ पर किराने की दुकान है जो उनके दो बेटे चलाते हैं) से पूछा, "आपका लड़का विदेश से कमाकर आया है, मिठाई–विठाई खिलाये नहीं?" श्यामप्रसाद ने जवाब दिया, "अब नहीं जाएगा।

Working Paper

सात महीने ही तो था, शरीर आधा रह गया है।" खेमचंद्र राम ने सहमति भरते हुए कहा, "जितना कमाया नहीं होगा उतना गँवा दिया। सेहत भी तो कोई चीज है। यहाँ कितना देहगर (तंदुरुस्त) था।" शर्मा यादव ने बीच में टोकते हुए कहा, "हम तो पहले ही कहे थे अनाज का धंधा करने के लिए। बाहर में डेढ़ लाख भी नहीं कमाया होगा, यहाँ तीन लाख कमा लिया होता। तेली का बच्चा है, कुछ भी करके इतना तो कमा ही लिया होता।" खेमचंद्र राम ने कहा कि वहाँ की धूप में काम करना सबके बूते की बात नहीं है। नियामत अंसारी ने भी हामी भरी।

इसी बीच किसुन राम अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ पहुंच गये। उन्होंने आते ही सबको प्रणाम किया और पूछा, "बाकी लोग कहाँ हैं? सोमेश कहाँ है? (एक लड़के की ओर इशारा करते हुए) बाबू जाओ, जरा जा के सोमेश के घर बोल आओ कि पंचायती शुरू होने जा रही है।"

किसुन राम की नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने खेमचंद्र मास्टर से मेरा परिचय पूछा। चूँकि उस बैठक में उपस्थित ज्यादातर लोग मुझे नहीं जानते थे इसलिए मैंने अपना परिचय खुद देना बेहतर समझा।

"मेरा नाम विवेक आनंद है। 'परिवर्त्तन'[1] में रहता हूँ। मैं पंचायती राज और लोकतंत्र को समझने मियाँ के भटकन आया हूँ। कैसे पंचायत चुनी जाती है, कैसे न्याय दिया जाता है, कैसे विकास के कार्य किये जाते हैं, शिक्षा और पंचायती राज के संबंध क्या हैं और कैसे हैं?"

अमूमन ऐसी बैठकों में परिचय के कुछ ख़ास मानक होते हैं। जैसे पूरा नाम (सरनेम के साथ), घर का पता, स्थानीय पता इत्यादि। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा कद–काठी, कपड़े, बातचीत आदि के तरीके के अलावा सरनेम से भी लगाया जाता है। मैंने भरसक इन मानकों से बचने की कोशिश की।

किसुन राम के चेहरे पर एक चमक खेल गयी। उन्होंने कमलेश पंडित पर कटाक्ष करते हुए कहा, "अच्छी बात है। सरपंच जी हमारे सामने बैठे हैं, वही कुछ बतायें पंचायत और न्याय के विषय में। सरपंच बने हैं तो कुछ तो जानते होंगे।"

सबकी नजरें अब कमलेश पंडित की ओर मुड़ गयीं। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह असहज हो गए हों। मानो किसुन राम ने उनकी परीक्षा ले ली हो। उन्होंने शरीर को सीधा किया

1. मियाँ के भटकन के पास के गाँव नरेंद्रपुर में तक्षशिला एजुकेशनल फाउंडेशन ने 'परिवर्त्तन' के नाम से एक कैम्पस की स्थापना की है जहाँ से आसपास के चालीस से ज्यादा गाँवों में सामाजिक विकास के काम किये जाते हैं। टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) का प्रोजेक्ट कार्यालय 'परिवर्त्तन' में ही स्थित है।

Working Paper

और कहा, "हम तो बस ऐसे ही समाज की बात समझकर आ गये, वरना हमारे नियम के हिसाब से तो दोनों पक्षों को 'पंचायत सरकार' भवन में बुलाया जाता। बताइये, कोई आइयेगा? दें लिख के?" धीरे–धीरे उनके चेहरे पर और आवाज में गुस्सा देखा जा सकता था।

शर्मा यादव ने बात सम्भाली, "सरपंच जी ठीक कह रहे हैं। कोई नहीं जाएगा चंदौली पंचायती करवाने। सरकार का भवन भी किसी काम का नहीं है। फैसले ऐसे ही होते हैं। ग्राम कचहरी में लिखा–पढ़ी करने की क्या जरूरत है? हमने तो अपनी पूरी जिन्दगी में जितनी भी पंचायती की है, किसी में भी लिखा–पढ़ी करने की नौबत नहीं आई।"

किसुन राम कहाँ चुप रहने वाले थे। मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने तुरंत शर्मा यादव की बात का जवाब दिया, "क्या न्याय होगा सर! पंचायती में हमेशा मजबूत पार्टी का चला है। कहने की बात है कि पंचायती में कभी झूठ नहीं बोला जाता है, कि पंच परमेश्वर होता है और साक्षात् भगवान उसकी जीभ पर बिराजते हैं। वोट के लिए सरपंच जी भी न्याय नहीं करेंगे। उनकी जगह एक अफसर होता तो अच्छा होता। कम–से–कम उसको वोट का लालच तो नहीं होता। और फैसला हो भी जाय तो क्या दोनों पक्ष बात मानेंगे? कोई गारंटी है?"

कमलेश पंडित चुपचाप सुनते रहे। तभी किसुन राम का मोबाइल बजने लगा और वे मोबाइल पर बात करने में लग गए। मैंने बात को आगे बढ़ाने की गरज से पंचायत के सरकार होने की बात कही। शर्मा यादव सहमत नहीं थे। कहने लगे, "यहाँ केवल ब्लॉक का चलता है। सभी फैसले वहीं होते हैं। जनप्रतिनिधि साइन करने भर के लिए होते हैं। हर कदम पर पैसा लेते हैं ये ब्लॉक वाले। अफसरशाही करते हैं। कोई पावर नहीं है पंचायत जनप्रतिनिधि का।"

पीछे बैठे यादव टोले के कुछ बुजुर्ग उतावले दिखे। एक ने कहा, "उन लोगों को पंचायती करनी है कि नहीं? लोग अपना–अपना काम खराब करके यहाँ बैठे हैं। जब पंचायती करनी ही नहीं थी तो हमें क्यों बुलाया गया?" खेमचंद्र मास्टर और नियामत अंसारी को भी सिवान जाने की जल्दी थी।

किसुन राम ने फ़ोन पर बात खत्म करते हुए कहा, "अभी यहाँ कोई नहीं है दूसरे पक्ष से। सोमेश और निर्मल, दोनों स्कूल गये हैं और नरेंद्र भट्ठा पर। हमको पंचायती करनी होती तो कब का कर दिए होते। लेकिन हम नहीं चाहते कि लोग कहें कि बराबर की पंचायती नहीं हुई। पहले भी कई बार झगड़े हुए हैं, पंच भी बैठे हैं, पंचायती भी हुई है, पंचनामा भी हुआ है। कहाँ हैं वे लोग?ये पूरी जिम्मेदारी उनकी थी कि फिर से झगड़ा न हो। कैसे हो गया फिर, वे लोग जवाब देंगे?"

शर्मा यादव ने कहा, "अब किसी और दिन रखा जाय, आज तो नहीं हो पायेगा।" कमलेश पंडित और खेमचंद्र राम ने शनिवार और रविवार को व्यस्त होने की बात बताई। किसुन राम ने मामले को जल्द–से–जल्द निपटा देने पर जोर दिया। अगले दिन शुक्रवार को तीन बजे का समय निश्चित किया गया।

सभा समाप्त होते ही उस गाँव के बाहर के लोग निकल गए। जिन लोगों की कुर्सियां बैठक के लिए लाई गयी थीं, वे अपनी–अपनी कुर्सियाँ ले जाने लगे ।

II

मैंने पास खड़े युवक से पूछा, "मुझे गाँव नहीं घुमाओगे?"

वह मुस्कुराया और मुझे अहीर टोले की खरंजा सड़क की एक दिशा में लेकर चलने लगा। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने मोतीलाल यादव बताया। उसने मुझे परिवर्तन में देखा था जहाँ वह उमंग कार्यक्रम के तहत बच्चों को खेल सिखलाता था। अहीर टोले की तरफ जाते हुए वह मुझे हर घर के मालिक का नाम बताता जा रहा था। एक घर के बाजू में दो भैंसें बंधी थीं और खटिया पर एक बुजुर्ग बैठे थे जो देखने से लगता था कि कभी पहलवान रहे होंगे। दो–चार मकानों के बाद रास्ता बंद था। बायीं तरफ एक सूखा तालाब और दायीं तरफ एक फूस की झोपड़ी दिखी जिसके बाहर दो–तीन गायें बंधी थीं और गोबर के सूखे कंडों का ढ़ेर लगा था। झोपड़ी में से एक बूढ़ी औरत निकली और मुझे देखते हुए मोतीलाल से मेरे बारे में पूछा। उस झोपड़ी के आगे फूस का ओसारा था जहाँ फटा बनियान और लुंगी पहने एक बुजुर्ग खटिया पर बैठे हुए थे। उन्होंने पास बुलाया। मेरे लिए कुर्सी मंगाई गयी तथा पानी के साथ–साथ बतासे भी। बूढ़ी औरत नीचे जमीन पर बैठ गयी।

बुजुर्गवार ने मेरा नाम, मेरे घर का पता और मेरी जाति पूछी। मैंने जवाब देने की बजाय थोड़ा इंतजार करना बेहतर समझा। मोतीलाल ने उन्हें बताया कि मैं परिवर्तन से हूँ। यह सुनकर उन्होंने अपना सिर ऐसे हिलाया मानो उन्हें मेरी जाति का अंदाजा हो गया हो। फिर बोले, "हमारे घर का दही तो राजपूत और ब्राह्मण लोग खाते हैं, इन लोगों (चमारों) की कौन पूछ है। पहले ये लोग गाय का मांस खाते थे। अभी भी मुर्घटिया (श्मशान) में गाड़े हुए जानवरों को निकालकर खाल छिलते हैं। बताइये, कैसे खायेंगे हमलोग इनके साथ? जात (जाति) तो जात होता है, हमलोगों से नहीं हो पायेगा।" फिर मोतीलाल की तरफ इशारा करते हुए, ''इस लड़के को पीट दिया है इन लोगों ने। बच्चों के झगड़े में सयाने लोगों को पड़ना चाहिए?"

Working Paper

इस क्षण तक मुझे नहीं मालूम था कि मोतीलाल ही वह लड़का है जिसे चमारों ने पीटा था। मैंने अचरज भरे लहजे में मोतीलाल से पूछा कि क्या अहिरों के लड़कों ने चमार जाति के एक लड़के को नहीं पीटा था? मोतीलाल ने बताया, "हाँ, पीटा था पर इतना भी नहीं जितना उसके बाबूजी बता रहे हैं। पता नहीं कहाँ से छाती की हड्डी टूटने का सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं जबकि लड़का दिन भर खेत से सरसो ढो रहा है। बताइये, छाती की हड्डी टूट जाय तो कोई काम कर सकेगा?ऊपर से थाना में जा के हरिजन ऐक्ट लगा दिए हैं।"

इतना सुनते ही दोनों बुजुर्ग एक स्वर में बोलने लगे कि वे लोग पैसों के लिए ऐसा करते हैं। जरा–सी बात पर भी थाना में जाकर हरिजन ऐक्ट लगा देते हैं। उनके साथ भी फौजदारी चल रहा है। बुजुर्ग पुरुष ने कहा कि उन पर भी हरिजन ऐक्ट लगा था लेकिन वह किसी तरह जाँच में बच गए।

मैंने पूछा, "आखिर ऐसी क्या बात है कि दोनों पट्टी में इतना टेंशन चलता है?"

बुजुर्ग पुरुष यह कहकर चुप हो गये कि बच्चे नहीं मानते और झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन महिला ने अपने मामले का हवाला देते हुए बात आगे बढ़ायी, "गाँव–घर की महिलाएँ शौच के लिए काली स्थान के पासवाले पोखरे के दखिनी भिंडा पर जाती थीं। चमरटोली के बच्चे, जवान और बूढ़े वहाँ की एक पुलिया पर बैठे रहते थे। हमलोगों ने उनसे कहा कि औरत लोग आती हैं, तो यहाँ मत बैठा कीजिये। अब इसी बात पर मारपीट हो गयी। औरतों की इज्जत होती है कि नहीं?"

मैंने मन ही मन सोचा जिससे बात करो वही कहानी में कोई नया आयाम जोड़ देता है। अब तक इस गाँव में भटकने के बाद यह बात समझ में आ गयी थी कि लोगों के भीतर जातीय व श्रेष्ठता बोध कई परतों में व्याप्त है। चमार टोली के परिवार अहीर टोली के परिवारों के मुकाबले ज्यादा शिक्षित हैं और कई किस्म की सरकारी नौकरियों में भी हैं, किन्तु उनकी शिकायत है कि अहीर अब भी उन्हें सम्मान नहीं देते और छुआछूत का व्यवहार करते हैं। अब वे अहिरों की खेतीबारी, मवेशी पालन और दूध–दही के व्यापार को हेय दृष्टि से देखते हैं। दूसरी ओर, अहिरों के मन में जातीय श्रेष्ठता की भावना है। इस इलाके के राजपूतों और ब्राह्मणों के अलावा यादवों में भी यह भावना प्रबल है कि वे 'शासक वर्ग' हैं। विडम्बना यह कि जब दोनों समुदायों के लोग जीविकोपार्जन हेतु पलायन करते हैं तो गाँव से बाहर एक–दूसरे के साथ रहने, खाने–पीने में उन्हें कोई परहेज नहीं होता, परंतु जब वे गाँव में होते हैं तो जाति की भावना वापस हावी हो जाती है।

Working Paper

मैंने इस वार्तालाप को यहीं छोड़ मोतीलाल के घर का रुख किया। मोतीलाल के पिता कलकत्ता के एक चटकल फैक्ट्री में काम करते हैं और इस समय कलकत्ता में थे। उनका संयुक्त परिवार है जिसमें कुल 26 सदस्य हैं। मोतीलाल की माँ और चाची वहीं सामने बैठी मिल गयीं। घर के आजू–बाजू गोबर के सूखे लम्बे कंडे 'हैशटैग' के आकार में ढेर करके रखे गये थे। घर के सामने छोटे बच्चे कंचे खेल रहे थे। मोतीलाल की माँ दुबली–पतली महिला हैं और रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहती हैं जैसे दूध उबालना, दही जमाना, दूध और दही की छाली से घी बनाना। जल्दी ही मोतीलाल घर से चाय बनवा लाया। मोतीलाल की माँ ने गोबर के लवनों (जलावन) के बारे में बताया कि जितना बड़ा परिवार है और जिस किस्म के काम रसोई में होते हैं उसके हिसाब से गैस सिलिंडर से काम नहीं चलेगा। कौन सुहुर–सुहुर दिन भर रसोई में बैठा रहेगा। दो से तीन किलो चावल गैस चूल्हे पर तो नहीं बन सकता। उतना समय भी नहीं है। खेत का काम रहता है, माल–गोरू भी सम्भालना होता है।

मैंने उनसे पूछा, "आप नहीं गयी थीं पंचायती में?"

उन्होंने शर्माते हुए जवाब दिया, "पंचायती मर्दों का काम है। औरतें उसमें नहीं जातीं। औरतें तो बनी–बनायी बात भी बिगाड़ दें।"

III

बसंत जी पेशे से दुकानदार हैं। पहले वह समोसे, पूड़ी, जलेबी इत्यादि की दुकान चलाते थे। लेकिन जब से उनका पैर टूटा है उस दुकान को बंद करके दवाई की दुकान खोल ली है। बसंत जी कहते हैं कि छोटी–मोटी बीमारियों में प्राथमिक उपचार वह खुद कर लेते हैं। जैसे डायरिया, बुखार, उल्टी, सर्दी–खांसी। सूई भी लगा देते हैं। उनके अनुसार, सारा गाँव जान गया है कि सर्दी–बुखार में एक गोली बुखार उतारने की, एक एंटीबायोटिक और एक गोली गैस की दी जाती है। कभी–कभार उनके परिवार या आस–पास के लोग भी उनकी गैर–मौजूदगी में ग्राहकों को दवाइयाँ दे देते हैं।

बसंत जी के घर और दुकान में अंतर कर पाना मुश्किल है। कई बार तो वह दुकान में लगी चौकी पर सोते हुए दिख जायेंगे। अंदर का कमरा सड़क से ही दिखाई देता है जहाँ उनकी पत्नी लेटी हुई दिख जायेंगी। मियाँ के भटकन चौक पर आठ–दस दुकानें हैं जिनमें छः–सात दुकानें तो बसंत जी के परिवार की ही हैं। किसी ने पान की दुकान खोल रखी है तो किसी ने परचून की। एक ने इंटरनेट संबंधी काम शुरू किया है जैसे भोजपुरी और फ़िल्मी गानों की डाउनलोडिंग,

Working Paper

परीक्षा का रिजल्ट या फिर नौकरी संबंधी जानकारी देना। बसंत जी के लड़के और भाई ने आमने–सामने समोसे, जलेबी की दुकानें खोल रखी हैं।

बसंत जी कबीर के दोहे गाते हैं। आसपास के आयोजनों में, विशेषकर सत्संगों में, उनकी बहुत मांग है। उन्हें दूर–दूर के लोग जानते हैं। हर बार वह पंचायत चुनाव लड़ते हैं और जमानत जब्त होती है। उनका कहना है, कभी तो लोग उनकी अहमियत पहचानेंगे।

शाम के करीब चार बजे मियाँ के भटकन गाँव में बसंत जी के घर पर किसुन राम और श्यामप्रसाद साह बैठे थे। सनोज वहीं सामने ताड़ी पीने जा रहा था। सनोज सिवान में राजमिस्त्री का काम करता है। आजकल रोजगार जरा मंदा चल रहा है।

बसंत जी ने सनोज को पुकारा, "रे सनोजवा, क्या हुआ तुम्हारी पंचायती का?"

सनोज ने जवाब दिया, "सवेरे का टाइम दिया गया था, उनकी तरफ से कोई नहीं आया।"

किसुन राम ने टोकते हुए कहा, "दोनों आदमी आपस में बतिया के समय और जगह तय करो और मामला खत्म करो।"

इसी बीच कंधे पर कुदाल टाँगे नरेंद्र राम दूर से आते हुए दिखे। श्यामप्रसाद ने तुरंत सनोज को कहा, "भाग यहाँ से जल्दी, नरेंद्रा आ रहा है।" सनोज वापस ताड़ी की दुकान में घुस गया।

बसंत जी ने नरेंद्र राम से पूछा, "आओ नरेंद्र आओ, क्या हुआ पंचायती का?"

नरेंद्र राम ने जवाब दिया, "सुनने में आया कि लोग सवेरे बैठे थे। हमको कोई बताया नहीं था। उस दिन हम अपने बच्चे का इलाज कराने सिवान गए थे तो पता चला कि हम ही पर केस कर दिए हैं अहीर लोग। हमारे ही बच्चे को पीटे हैं और केस भी हमीं पर! हमारे लोग भी तो नहीं हैं इस वक्त। सब कमाने–धमाने बाहर गए हैं। हम भी सवेरे ईंटा पाथने चले जाते हैं। सांझ का कोई समय रखा जाय।"

श्यामप्रसाद ने कहा, "पंचायती करनी है तो सनोजवा से बतिया लो और तय समय पर सब लोग रहो।"

Working Paper

नरेंद्र राम ने जवाब दिया, "हम भी झगड़ा–तकरार नहीं चाहते। बाकी वाजिब पंचायती होगा तो मानेंगे नहीं तो जो करना है करबे करेंगे। पंचायती तो सनोज ही बटोर रहा है, हम कहाँ जाते हैं?"

यह कहकर नरेंद्र राम अपने टोला की ओर बढ़ गए।

IV

तीन बजे पंचायती का समय रखा गया था लेकिन लोगों को जुटते–जुटते पाँच बजे गए। सनोज यादव और नरेंद्र राम ने अपने–अपने पंचों को बुला लिया था। पंचायती शैलेश यादव के घर के सामने सड़क के किनारे हुई जहाँ नरेंद्र राम के लड़के को पीटा गया था। कमलेश पंडित पहुँचे हुए थे। बाकी पंच भी थे। इस बार नियामत अंसारी और खेमचंद्र राम नहीं दिखे।

आम तौर पर गँवई पंचायती में अपनी–अपनी जाति के या मजबूत हैसियत के या फिर दबंग राजनीतिक चरित्र के लोगों को पंच के तौर पर बुलाया जाता है। सनोज यादव ने अपने पंच के तौर पर शर्मा यादव और श्यामप्रसाद साह को बुलाया था। नरेंद्र राम ने सोमेश राम और निर्मल राम को बुलाया था। किसुन राम का दावा था कि वह किसी एक पक्ष के नहीं थे क्योंकि उन्हें दोनों ही पक्षों ने बुलाया था। कमलेश पंडित एक तटस्थ व्यक्ति मालूम होते थे क्योंकि वह दूसरे गाँव के रहनेवाले थे और दोनों पक्षों में से किसी पक्ष की जाति के नहीं थे।

बैठक को दोनों पक्षों के लोगों ने घेर रखा था। आठ–दस कुर्सियाँ और दो–तीन खाटें लगी हुई थीं। बीच में कमलेश पंडित बैठे थे और उनके बगल में किसुन राम। नरेंद्र राम और सनोज यादव साथ ही बैठे थे। शर्मा यादव और श्यामप्रसाद साह एक तरफ और सोमेश राम और निर्मल राम दूसरी तरफ। सड़क की दूसरी ओर अनाज की बेढ़ी की आड़ लेकर मोतीलाल की माँ बैठी थीं और जरा छिपकर पंचायत में हो रही चर्चा को सुनने की कोशिश कर रही थीं। शैलेश यादव के घर के सामने वाले मकान के दरवाजे पर कुछ औरतें और बच्चियाँ झुंड बनाकर दूर से पंचायती को देख रही थीं।

किसुन राम ने बैठक की शुरुआत करते हुए भूमिका बनाई कि पंचायती में सब बात साफ–साफ होगी और दोनों तरफ के लोग सच बोलेंगे। शर्मा यादव ने उनकी हाँ में हाँ मिलायी। फिर क्या था, बाकी लोगों ने भी बारी–बारी से सुर मिलायाः "सच न बोला जाएगा तो पंचायती का क्या मतलब", "पंचों को भी सच बोलना चाहिए", "पंचों को पक्षपात नहीं करना चाहिए", "झगड़ा खत्म करना है तो सच बोलना है, गलत काम नहीं होना चाहिए", "जो भी पंचायती में फैसला होगा

Working Paper

लोगों को मानना चाहिए", "वाजिब पंचायती होनी चाहिए, किसी के साथ नाजायज नहीं होना चाहिए", "पंचों को बुलाया है तो बात भी माननी है", "पंच किसी पार्टी के नहीं होते हैं" ।........

कमलेश पंडित ने सबको चुप कराते हुए मामले की पूछताछ शुरू की। इस बार लोगों ने एक–दूसरे को चुप कराने के लिए बोलना शुरू कर दिया।

कमलेश पंडित ने ऊँची आवाज में बोलते हुए कहा, "चूँकि पूरे मामले के केंद्र में नरेंद्र राम का लड़का है और उसी की पिटाई पहले हुई थी, तो वही मामला बताये।"

नरेंद्र राम के बच्चे का नाम सज्जन है जो दसवीं कक्षा का छात्र है। 14–15 वर्ष का होगा। सज्जन ने बताया, "तीन दिन पहले हम काली स्थान पोखरे के पूरुब दिशा वाले भिंडा की तरफ सांझ में शौच करने गये थे। अहीर टोली के कुछ लड़के वहाँ पहले से खेल रहे थे। हम पैखाना करने बैठ गए तब पुलिया पर बैठे लड़कों ने सनोज यादव के लड़के को वहाँ भेजा, यह कहते हुए कि देख–देख चमरा का लड़का झाड़ा फिर रहा है। तुम भी जा कर वहीं बैठ जाओ। वह लड़का हमारे सामने आ कर बैठ गया तो हम मना किये कि यहाँ झाड़ा मत फिरो, तो उल्टा बोलने लगा कि क्या कर लोगे.........।"

बीच में टोकते हुए अहीर टोली के एक बुजुर्ग ने अपने बच्चे का पक्ष ले कर कहा, "अन्हार (अंधेरा) में लड़के को नहीं बुझाया होगा।"

कमलेश पंडित ने उनको चुप कराते हुए आगे पूछा, "तुम गाली–वाली दिए थे?"

सज्जन ने जवाब दिया, "नहीं, हम वहाँ से आते समय उसके दादा से बथानी पर ओलाहना (उलाहना) दिए तो उसके दादा ने लड़कों को फटकार लगाई । फिर हम वहां से घर की तरफ लौटने लगे तो उन्हीं लड़कों ने पीछा किया और यहीं (इशारा करते हुए) इसी जगह पर हमको पीटने लगे। हम चिल्लाए तो दो–चार सयाने लोग भी आ कर हमको पीटे।"

अहीर टोली के एक बुजुर्ग ने अपनी टोली के बच्चों की तरफ इशारा करके उकसाते हुए कहा, "तुम लोग काहे नहीं बोल रहे हो।" यह सुनते ही अहीर टोली के कुछ बच्चे बोल पड़े, "नहीं, नहीं, ये गाली दिया था।"

कमलेश पंडित ने फिर सबको चुप कराते हुए कहा, "या तो मैं बोलूंगा या आपलोग बोलिए। ऐसे थोड़े ही पंचायती होता है। पहले इसको अपना पक्ष बता लेने दीजिये फिर आपलोग बोलिएगा।"

Working Paper

कमलेश पंडित ने फिर पूछा, "धीरे से मारा कि जोर से मारा, हाथ से मारा कि डंटा (डंडा) से मारा? सयाने लोगों में से किसने मारा, चीन्हते (पहचानते) हो?"

सज्जन ने कमलेश पंडित के सभी सवालों का जवाब देने की बजाय हाँ में सिर हिलाया और कुछ लोगों का नाम लिया। चमार टोली के कुछेक दूसरे बच्चों और सयानों ने भी हामी भरी। पीछे से किसी की आवाज आई, "सयाने लोगों ने मारा नहीं होता, तो लड़का बेहोश थोड़े होता।" यह सुनते ही अहीरों की तरफ से किसी ने कहा, "सयाने लोगों ने मारा होता तो मर नहीं जाता।" चमारों ने जवाब दिया, "नहीं–नहीं, सयाने लोगों ने भी मारा है।"

बैठक में गर्मागर्मी बढ़ने लगी। दोनों तरफ से आरोपों की बौछारें होने लगीं। मामला बिगड़ता देख किसुन राम ने कमान संभाली और दोनों पक्षों से शांति से बात पूरी करने की अपील की।

कमलेश पंडित ने अब नरेंद्र राम से अपना पक्ष रखने को कहा। नरेंद्र राम एक निरीह प्राणी की तरह कमलेश पंडित के ठीक सामने लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनकी कहानी कुछ यूँ थीः "हम बाजार गए हुए थे। वापस घर पहुँच ही रहे थे कि हो–हल्ला सुनाई दिया कि अहिरन सब केहू के पीट रहे हैं। हम पास गए तो देखा कि यह तो हमारा ही लड़का था। ज़मीन पर गिरा पड़ा था। जल्दी से मोटरसाइकिल मँगवाए और भागे आंदर। आंदर के डॉक्टर ने देखा तो बोला इसको सिवान ले जाइए। हम तुरंत सिवान लेके भागे। सिवान में दवा–बीरो हुआ। डाक्टर ने पूछा कि पुलिस को बुला दें तो हम बोले, पहले इलाज कीजिये। पता नहीं कैसे पुलिस को खबर लग गयी। पुलिस ने केस करने के लिए कहा तो हमने मना कर दिया। जब इसको घर लेकर लौटे तो पता चला उल्टे अहीर लोग केस कर दिये हैं। तो हम भी शिकायत लिखवा के जमा कर दिए।"

किसुन राम ने पूछा, "डाक्टर क्या बोला, कितना जख्म है? कहीं कटा–फटा तो नहीं है?"

नरेंद्र राम ने गुस्से से जवाब दिया, "दोनों हाथ दो तरफ से पकड़ के खाली सीना पर मारे हैं ये लोग। सुई–दवाई, एक्स–रे हुआ है। कुल छः–सात हजार रुपये लग गये। फिर से एक्स–रे करवाना है।"

तभी पीछे से अहिरों की तरफ से किसी ने कहा, "ये कौन बीमारी लग गयी है इन लोगों को? बात–बात में हरिजन ऐक्ट लगा देते हैं।"

सोमेश राम ने सुनते ही जवाब दिया, "इतना हरिजन ऐक्ट लगाने के बाद भी तो अहीर लोग नहीं मान रहे हैं।" फिर कमलेश पंडित और शर्मा यादव की तरफ देखते हुए कहा, "इस गाँव में अहीर लोग कभी पिटाए हैं? ऐसा क्यों होता है कि केवल चमार लोग पिटाते हैं और पंचायती करके

मामला रफा–दफा हो जाता है?" कमलेश पंडित ने सोमेश राम को चुप कराते हुए अपनी बारी का इंतजार करने को कहा।

अब तक सूरज डूब चुका था और अंधेरा होने को था। अभी तक एक पक्ष की ही बात सुनी जा सकी थी। तभी शर्मा यादव ने सनोज यादव को आवाज़ दी, "सनोजवा कहाँ है, कहाँ है सनोजवा?" जब सनोज दिखा तो कमलेश पंडित ने बात शुरू करने का इशारा किया।

सनोजः "हम नरेंद्र भैया के लड़का जौरे (के साथ) काम करने सिवान गए थे। आने के बाद ताड़ी पीने मियाँ के भटकन चले गए। ताड़ी पी के बाबू भटकन गाँव की तरफ जा रहे थे कि साइकिल पंक्चर हो गया। इतने में कोई आवाज दिया कि टोला पर लड़कों ने झगड़ा किया है। हम घर पहुँच के डांटे कि काहे मारे हो तुम लोग। बिहान हो के (अगले दिन) पता चला कि हमारे भतीजा को पीटे थे ये लोग।"

कमलेश पंडित ने पूछा, "कौन है आपका भतीजा? क्या नाम है?"

सनोज ने मोतीलाल का नाम बताकर उसे बुलाया। कमलेश पंडित ने मोतीलाल को ऊपर से नीचे तक देखा और उस दिन की घटना के बारे में बताने को कहा।

मोतीलालः "हम दूध देने भवराजपुर जा रहे थे तो चमरटोली में मंदिर के पास रोक के पाँच लीटर दूध गिरा दिये ये लोग और मारे भी।"

कमलेश पंडितः "कौन–कौन मारा?"

मोतीलाल ने एक हट्टे–कट्टे लड़के की तरफ इशारा करते हुए बताया, "ये मारे थे। और भी लोग थे।"

जिस लड़के की तरफ मोतीलाल ने इशारा किया उसने मोतीलाल को गुस्से से घूरा पर कहा कुछ नहीं। वह निस्संदेह दिखने में मोतीलाल से लम्बा और बलिष्ठ था। मोतीलाल की बातों से लग रहा था, वह अपने साथ हुई घटना को बढ़ा–चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका मामला भी संगीन दिखे। उसे देख कर लग नहीं लग रहा था कि उसे बहुत मार पड़ी हो।

कमलेश पंडित बात को समझ गए और मोतीलाल को चुप रहने को कहा। अब तक की कार्यवाही से सभी समझ चुके थे कि गलती किसकी थी। लेकिन कोई भी ग्रामीण अथवा पंच यह बोलने को तैयार नहीं लगा। तनाव सबके चेहरे पर देखा जा सकता था। लोगों में भुनभुनाहट शुरू हो गई।

शर्मा यादव ने सबको चुप कराते हुए कहा, "अच्छा ठीक है, गलती हुई है। बच्चों के झगड़े में दोनों तरफ से सयाने लोग घुसे हैं और मारपीट किये हैं। इसमें नरेंद्र के लड़के को ज्यादा तकलीफ हुई है और डाक्टर–वैद्य कराना पड़ा है।"

शर्मा यादव को बीच में ही टोकते हुए किसुन राम ने कहा, "देखिये शर्मा भैया, एजा (यहाँ) की लड़ाई पहली बार की नहीं है। इस बार मिलाकर चार बार हो चुका। सोमेश का झगड़ा कमल से हुआ, गजेंद्र का झब्बू भाई से और एक केस दिनेश का भी था और यह चौथा मामला है। पहले भी पंचायती हुई है और पंचनामा भी बना है।" किसुन राम ने पंचनामे का कागज दिखाते हुए कहा, "जब पहले भी बात हुई थी कि आगे से कोई झगड़ा नहीं होगा तो कैसे हो गया? पंचनामे में दोनों तरफ के लोगों का नाम लिखा हुआ है। शर्मा भैया का नाम है, सोमेश का नाम है। ये लोग काहे नहीं आपस में बतिया लेते हैं।" सब लोग चुपचाप सुन रहे थे। उस पंचनामे में दर्ज लोग भी मौके पर मौजूद थे।

किसुन राम ने बात आगे बढाते हुए कहा, "जब पंचायती की बात माननी ही नहीं है, पंचनामा का कोई मतलब ही नहीं है, तो कौन आयेगा पंचायती कराने?"

यह बात सुनते ही चमार पक्ष के लोगों ने कहा, "हमलोग पंचायती नहीं बुलाये हैं, ये लोग बुलाये हैं।"

कमलेश पंडित ने थोड़ा गरम होते हुए कहा, "तो काहे आये हैं आपलोग जब आपका मन नहीं है पंचायती करने का?"

नरेंद्र रामः "अगर वाजिब पंचायती होगी तो हमलोग मानेंगे। नहीं तो जो करना है करबे करेंगे।"

किसुन राम ने टोकते हुए कहा, "यहाँ दोनों पार्टी को पंचायती का फैसला मानना पड़ेगा चाहे जो भी फैसला हो। अगर मंजूर है तो कहिये, नहीं तो हमलोग चलते हैं।"

थोड़ी देर की गहमा–गहमी और आपसी चर्चा के बाद लोग फिर से वही बात दुहराने लगे कि वाजिब होना चाहिए, दोनों पार्टी को बात माननी चाहिए, पंचायती बुलायी है तो बात सुननी पड़ेगी, आदि आदि।

भीड़ ज्यादा हो गयी थी और अंधेरा बढ़ रहा था। तभी किसुन राम ने पंचों के सामने एकदम से नया प्रस्ताव रखा, "चूँकि यहाँ बार–बार झगड़ा होता है और कुछ लोग झगड़े में घी डालने का

Working Paper

काम करते हैं तो क्यों न उन्हीं लोगों को यह जिम्मेदारी दी जाय कि वे अपने लोगों को समझाएं।" शर्मा यादव ने तुरंत ही जोड़ते हुए कहा, "यह सही है। ये लोग खुद जिम्मेदारी लें। कब तक बाहर के लोग आयेंगे जबकि इन लोगों को करना अपने मन का ही है।" बैठक के बीचो–बीच बैठे नारायण यादव ने सिर हिलाते हुए कहा, "ना भाई ना, ये नहीं हो पायेगा। कौन किसके बस में है? झगडा कोई करे और जिम्मेदारी किसी और की?" किसुन राम और शर्मा यादव उन्हें समझाने लगे कि जब उनका भी मानना है कि दोनों तरफ के लोग भड़काते हैं, तो क्यों नहीं उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी से बाँध दिया जाय। दोनों पक्षों को कहा गया कि वे उन लोगों के नाम सुझाएं जो झगड़ों को भड़काते हैं। चमारों के पक्ष से किसी ने झब्बू चौधरी का नाम लिया। फिर क्या था। चौधरी खड़े हो गए और गुस्से से कांपते हुए बोले, "नाम तो लिखा रहा है, लेकिन जिसका नाम रहेगा उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। हम खुद जेल होकर आये हैं।" चौधरी ने अपनी ओर से गजेंद्र राम का नाम सुझाया। गजेंद्र राम से उनका झगड़ा हुआ था जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा था। बाद में तब के मुखिया ने पंचायती के माध्यम से उस मामले का निपटारा कराया था। बारी–बारी से उन सभी लोगों के नाम लिए गए जिनके बीच पहले झगड़े हो चुके थे।

फिर थोड़ी देर चुप्पी रही। किसुन राम ने सभी पंचों की तरफ देखते हुए कहा, ''यहाँ पर भीड़ ज्यादा है। यहाँ न तो चर्चा हो पाएगी न ही कोई निर्णय। यहाँ से थोड़ी दूर हट के बात कर ली जाय।''

सारे पंच बैठक की जगह से करीब 15–20 कदम दूर जाकर खड़े हो गए। मैं भी उनके साथ हो लिया। किसी ने मना नहीं किया। सोमेश राम ने सुझाव दिया कि कुछ ऐसा किया जाय कि दोनों तरफ के लोग मानें और जिसने गलती की है उसको दंड भी मिले। किसुन राम ने समय की कमी का हवाला देते हुए कहा कि अंधेरा हो चला है और पंचायती पूरा करने में और समय लगेगा। इसलिए अभी दोनों पक्षों से केवल फैसला मानने का एक दस्तावेज़ बनवा लिया जाय और कल किसी समय इस गाँव से बाहर बैठक करके फैसला कर दिया जाय। कमलेश पंडित ने अगले दिन की व्यस्तता का हवाला दिया तो शर्मा यादव ने उसके अगले दिन का। किसुन राम ने अगले दिन सुबह सात बजे का प्रस्ताव किया जिस पर सभी लोग राजी हो गए।

इस निर्णय की जानकारी बैठक में दोनों पक्षों को दी गयी। कमलेश पंडित ने कागज और कलम मंगवाया और शर्मा जी से लिखने को कहा। शर्मा जी कतराते हुए बोले, "आप ही लिखिए सरपंच जी। हम तो जितना भी पंचायती किये हैं कभी लिखा–पढ़ी नहीं किये।" सोमेश राम ने कागज अपने हाथ में लेते हुए कमलेश पंडित के कथनानुसार लिखना शुरू किया। पहले एक प्रारूप लिखकर पढ़ा गया और फिर उस प्रारूप को नए सिरे से दुरुस्त किया गया। सबके हस्ताक्षर लिए गये। इसके साथ ही सभी लोगों को बता दिया गया कि अगले दिन सुबह शर्मा यादव जी के

Working Paper

घर पर सभी पंच बैठकर फैसला करेंगे और बाद में गाँववालों को सुना दिया जाएगा। बैठक समाप्ति की घोषणा कर दी गयी।

V

सुबह सात बजे मैं शर्मा यादव के घर पर पहुँच गया। शर्मा जी का घर जीरादेई–आंदर मुख्य सड़क पर स्थित है और मियाँ के भटकन गाँव और शर्मा टोले के बीचो–बीच पड़ता है। मैं पहला व्यक्ति था जो समय से पहुंचा था। मैंने शर्मा जी से पूछा, "किसी से बात हुई है क्या?" उन्होंने ना में सिर हिलाया। दुआर (घर के सामने की खुली जगह) के एक कोने में प्लास्टिक की कुछ कुर्सियाँ दिखीं जो जहाँ–तहाँ से टूटी हुई थीं। उन्होंने अपने लड़के को कुर्सियाँ लगाने को कहा। एक खटिया भी लगा दी गयी।

मैंने कमलेश पंडित से फ़ोन पर बात की तो पता चला कि वह कहीं जाने की जल्दी में थे इसलिए नहीं आ पायेंगे। मैंने यह बात शर्मा जी को बता दी। थोड़ी देर में सोमेश राम और किसुन राम पहुँच गये। धीरे–धीरे दूसरे लोग भी वहाँ पहुँचने लगे। अमूमन गाँव में कहीं कोई बैठक होती दिख जाए तो जिज्ञासावश भी लोग बिना–बुलाये पहुँच जाते हैं। किसुन राम ने आते ही जल्दी पंचायती करने को कहा क्योंकि अगले दिन उनकी पार्टी का पंचायत सम्मलेन था और उनके अनुसार कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी। उन्होंने भी कमलेश पंडित को फ़ोन लगाया और जल्दी आने का दबाव बनाया। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि कमलेश पंडित की आने की कोई योजना नहीं थी।

हरिलाल यादव, जो वार्ड संख्या 8 के वार्ड सदस्य हैं, वहां से गुजर रहे थे। शर्मा जी की आवाज पर वह रुक गए और बैठक में आ गए। शर्मा जी ने वार्ड का हाल–चाल पूछा। हरिलाल ने कुछ दिनों पहले मुखिया के साथ हुई बैठक का हवाला दिया और मुखिया के सहयोग न करने की शिकायत की। शर्मा यादव के चेहरे पर कोई शिकन न थी। उन्होंने कुछ चिढ़ानेवाले लहजे में पूछा, "आपका वार्ड चयनित हुआ है कि नहीं?" ऐसा लगा जैसे हरिलाल के जख्मों पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, "हम अपने वार्ड में इस मुखिया का कोई काम नहीं होने देंगे। बताइये, हम अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं और हम ही को नहीं पता कि हमारे वार्ड में कौन–सी योजनाएं चल रही हैं। यह मुखिया हमको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हम छोड़ेंगे नहीं।"

किसुन राम उतावले दिख रहे थे कि कब पंचायती शुरू हो। करीब आठ बज गए होंगे। धूप निकल आई थी। उस जगह पर भी काफी लोग जुट गए थे, विशेषकर दुधहा अहीर टोली से।

Working Paper

तभी कमलेश पंडित मोटरसाइकिल से आ पहुँचे। किसुन राम ने इशारा किया कि थोड़ी शांत जगह पर चला जाय। शर्मा जी ने अपने घर के दाहिनी तरफ वाले दालान की ओर इशारा किया। मुझे भी बैठक में शामिल होने का आमंत्रण मिला। श्यामप्रसाद साह को छोड़ बाकी सभी पंच पहुँच चुके थे। शर्मा यादव उनकी अनुपस्थिति से चिंतित दिखे। उन्होंने किसी को आवाज दी और कहा कि जाओ और श्यामप्रसाद को खेत में से उठा के ले आओ। श्यामप्रसाद भी थोड़ी देर में बैठक में शामिल हो गए।

थोड़ी देर सब चुप रहे कि कैसे चर्चा की शुरुआत की जाय। सब लोग एक–दूसरे का मुँह देख रहे थे। सबने कमलेश पंडित से चर्चा की शुरुआत करने का आग्रह किया जिसपर उन्होंने खिसियाते हुए कहा, "हम ही सबसे पहले बोल देंगे तो फैसले का क्या मतलब? हम तो सबसे अंत में बोलेंगे।"

किसुन राम ने निर्मल राम की तरफ देखते हुए उनसे अपना मंतव्य देने का आग्रह किया। निर्मल राम ने कहा, "बात तो यही है कि यह एक बार का झगडा नहीं है। पहले भी लोगों ने आपस में झगड़े किये हैं। पंचायती भी हुई है लेकिन बार–बार ये काहे हो रहा है? ये बात कल साबित हो ही गयी कि अहीर लोग पहले मारे हैं। तो मिलाजुला के इसमें गलती अहीर लोगों की है।"

निर्मल राम के बाद बारी आई सोमेश राम की। वे निर्मल राम की बात का समर्थन करके चुप हो गये। परंतु किसुन राम और शर्मा यादव ने उन्हें टोका कि किसी की बात का समर्थन या विरोध करने की बजाय वह अपनी बात कहें। सोमेश राम के चेहरे पर अपनी बात कहने का दबाव देखा जा सकता था। उन्होंने कहा, "असली बात यह है कि अहीर लोग जाति के घमंड में चमार लोगों को कुछ बुझबे नहीं करते हैं। पूछिए शैलेश यादव से। उसके घर जन्मदिन का नेवता (निमंत्रण) भेजवाये थे, पर वह खाने नहीं आया।"

शैलेश यादव जो एक स्थानीय नर्सिंग होम में नाइट गार्ड का काम करते हैं और जिनकी पत्नी आंगनबाड़ी सेविका हैं, ने बात काटते हुए कहा, "ऐसी कोई बात नहीं है। हमको कहीं और नेवता में जाना रहा होगा, इसीलिए हम नहीं आये होंगे। लेकिन हम सोमेश के घर नेवता (सगुन का रुपया) भिजवा दिए थे।"

इस जवाब से सोमेश राम संतुष्ट नहीं दिखे। अपनी बात पर अड़ते हुए बोले, "बात नेवता भिजवाने का नहीं है। अहीर टोले से चमार लोगों के यहाँ खाने कोई नहीं आता है। नेवता देने पर भी नहीं।"

Working Paper

बाद में शैलेश यादव के बारे में एक किस्सा पता चला। एक बार वह एक चमार की शादी में खाना खाने गए। शादी की वीडियोग्राफी में उनका फोटो कैद हो गया। शैलेश को यह बात बुरी लगी कि चमारों ने अपने सगे–संबंधियों को वीडियो दिखाया कि अहीर भी उनके साथ खाना खाते हैं। यह उन्हें अपनी जाति की बेइज्जती लगी।

बहरहाल, किसुन राम ने सोमेश को समझाते हुए कहा, "अरे लगन के दिन में आजकल इतनी जगहों से नेवता आता है कि किसके यहाँ खाएँ, किसके यहाँ नहीं खाएँ।" शर्मा यादव ने भी सोमेश को समझाते हुए कहा, "ये सब गलत बात है। हम लोग तो खाने जाते हैं। हमारे यहाँ भी लोग खाने आते हैं। अब अगर किसी दिन कोई नहीं आया तो इसका दूसरा मतलब नहीं निकालना चाहिए।"

सोमेश राम इस बार मुख्य विषय पर लौटे। "अहीर लोगों की ही गलती है। एक तो बच्चों का झगड़ा, उसमें सयानों का उलझना। उस लड़के को कितनी बेरहमी से पीटे हैं सब। इसमें हरिजन ऐक्ट नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। हम लोग चाहते हैं कि झगड़ा न हो। आगे भी न हो। इसीलिए पंचायती करने बैठे हैं। हम लोग को शौख (शौक) थोड़े है केस–मुकदमा लड़ने का।"

इसके बाद एक–एक कर पंचों ने जो मंतव्य रखा उसका लब्बोलुबाब यह था कि बच्चों के झगड़े में बड़ों को नहीं पड़ना चाहिए; बच्चों को सहेज कर रखना चाहिए; मारपीट नहीं होनी चाहिए; सबको मिलजुल कर रहना चाहिए; झगड़ा लगानेवालों से सावधान रहना चाहिए; हरिजन ऐक्ट नहीं लगाना चाहिए; हरिजन ऐक्ट बहुत खतरनाक होता है; सालों कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं; कि अब इस मामले को आपसी बातचीत से सुलझा लेना चाहिए।

अब तक कमलेश पंडित चुपचाप सबकी बात सुन रहे थे। सब लोगों के बोलने के बाद उन्होंने कहा, "जल्दी–जल्दी फरियाइये (सुलझाइए) आपलोग। हमको लेट हो रहा है। बहुत दूर जाना है।"

किसुन राम ने उनसे कहा, "आप भी तो कुछ कहिये। सब लोगों का सुन लिए। कल भी सुने ही थे। कुछ छुपा थोड़े है इसमें।"

कमलेश पंडित ने मानो फैसला सुनाते हुए कहा, "मामला सिर्फ इतना है कि बच्चों में झगड़ा हुआ और मारपीट हुई। सयाने लोग नहीं पड़ते तो बच्चों को जितनी चोट लगी उतनी नहीं लगती। डॉक्टर के पास जाना पड़ा। खर्चा हुआ। पहली गलती अहीर लोगों की तरफ से हुई। उसी हिसाब से दंड की चर्चा कर लीजिये आपलोग।"

Working Paper

किसुन राम ने तुरंत बात को लपकते हुए कहा, "गलती तो दोनों तरफ की है। लेकिन अहीर लोग पहले पिटाई नहीं करते तो चमार लोग भी मारपीट नहीं करते। नरेंद्र का अपने लड़के के इलाज पर कुछ 9–10 हज़ार रुपया खर्चा हुआ है। उतना रुपया उसको दे दिया जाय। इसको दंड नहीं कहा जाय। थाने में जाकर दोनों तरफ की शिकायत को वापस करवाया जाय। अब आपलोग बोलिए, क्या सोचते हैं?"

निर्मल रामः "नरेंद्र को इलाज का पूरा खर्चा मिलना चाहिए।"

सोमेश रामः "खाली सनोज पर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। जितने लोगों का नाम एफ.आइ. आर. में है, सबको देना चाहिए। चूँकि सनोज का लड़का मुख्य था, इसलिए उसको ज्यादा भार सहना चाहिए।"

सुग्गा रामः "हज़ार रुपया प्रति व्यक्ति हर्जाना लेना चाहिए।"

शैलेश यादव ने कहा, "500 प्रति व्यक्ति हर्जाना होना चाहिए। लेकिन मोतीलाल का भी सोने का चैन और घड़ी गायब है, उसका क्या?"

कुछ पंचों ने शैलेश को डपटा कि गलत बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन श्यामप्रसाद साह इस पक्ष में नहीं थे कि सारा बोझ यादवों पर डाला जाये। शर्मा यादव ने श्यामप्रसाद की बात का समर्थन करना उचित समझा।

इसके पहले कि बात बिगड़ जाये, किसुन राम ने जल्दी–जल्दी बातों को समेटते हुए कहा, "ठीक है, फिर फैसला हो गया। नरेंद्र का दस हजार रुपया के लगभग इलाज में खर्चा हुआ है। आधा लोग पांच हजार देने के पक्ष में हैं और आधा लोग दस हजार के पक्ष में। बीच का फैसला किया जाय और 6500 रुपया नरेंद्र राम को दिला दिया जाये।"

टोला वासियों को इस निर्णय की जानकारी शाम को देना तय हुआ और तब तक पंचों से किसी को कुछ नहीं बताने का आग्रह किया गया। शर्मा यादव पर जिम्मेदारी डाली गयी कि वे सनोज और बाकी लोगों से अगली सुबह तक रकम जमा करा लें।

VI

जब मैं शाम की बैठक में शामिल होने दुधहा टोला पहुंचा तो मेरी मुलाक़ात गजेंद्र राम से हुई। गजेंद्र राम दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं। उनके बड़े भाई की

Working Paper

हाल ही में मृत्यु हो गयी थी। चमार टोली का वह हिस्सा जहाँ गजेंद्र राम और नरेंद्र राम का घर था, काफी पिछड़ा मालूम होता था। फूस के मकान, जहाँ–तहाँ गाय–बकरियाँ, पुआल के बिछावन, फटी–चिटी किताबें। दूसरी ओर, सोमेश राम और निर्मल राम के घर की तरफ का हिस्सा अलग दिख रहा था। रंग–बिरंगे पेंट किये हुए पक्के बड़े मकान, साफ–सफाई, कम संख्या में माल–जाल इत्यादि। गजेंद्र राम ने बताया कि उस हिस्से के लोग पढ़े–लिखे हैं। नौकरियाँ भी मिली हैं। आसपास के स्कूलों में शिक्षक हैं। खाड़ी के देशों में भी काम करते हैं। वह पूरा हिस्सा बंगरा पंचायत में पड़ता है जबकि गजेंद्र राम के घर की तरफ का हिस्सा वार्ड संख्या 13, मियाँ के भटकन पंचायत में है।

अब तक हम सोमेश राम के घर पहुँच चुके थे। गजेंद्र राम ने आवाज़ लगाई तो कोई बाहर आया और मुझे सोमेश राम के बथान पर ले गया जहाँ उनके पिताजी चौकी पर बैठे थे। बथान क्या था, पक्के का बड़ा दालान था। धीरे–धीरे कई और लोग आकर बैठ गए।

सोमेश राम ने मुझसे कहा, "अहीर लोग नहीं सुधरेंगे सर। हमलोग हैं कि इतना सहने के बाद भी इनको मौका दे रहे हैं और ये लोग हैं कि समझने को तैयार ही नहीं हैं। जब से पता चला है कि पैसा देना है, तब से अड़े हुए हैं कि दंड गलत लगाया गया है। चमारों को दंड नहीं देना है। अब आप ही बताइए, हमलोग करें तो क्या करें?"

सोमेश राम के पिताजी बूढ़े थे। पहले धनबाद कोलियरी में काम करते थे। वे मेरी ओर मुखातिब होकर कबीर के दोहे सुनाने लगे। शायद अपनी बात कहने का उनका यही तरीका था। सोमेश राम ने उन्हें चुप कराया।

मैंने पूछा, "आपके इस झगड़े का क्या इतिहास है?"

सोमेश राम ने जवाब दिया, "सन 2002 से पहले दोनों तरफ के लोग एक साथ सरस्वती पूजा मनाते थे। उस साल चमार जाति के कुछ विद्यार्थी प्रसाद बाँट रहे थे। तभी यादवों के किसी घर से आवाज आई कि कहीं चमारों के हाथ का प्रसाद खाया जाता है! तभी से झगड़े की शुरुआत हुई। किसी न किसी कारण लड़ाई–झगड़ा, केस–मुकदमा, फौजदारी होते ही रहता है। जाति की भावना उनमें कूट–कूट कर भरी है। उनके यहाँ शिक्षा की कमी है। हमारे यहाँ से नेवता (सामाजिक अवसरों पर खानपान का निमंत्रण) चलता था, अब बंद है। जब हमारा घर बन रहा था तो उसमें एक अहीर भाई काम करते थे जो पीने का पानी भी अपने घर से लाते थे। पहले जब झगड़ा होता था तो पहलेवाले मुखिया आते थे और जैसे–तैसे मामला सुलझा देते थे। पर अब तो वह भी नहीं आते। ये लोग उनकी बात ही कहाँ मानते हैं। एक शर्मा यादव हैं जो आते तो हैं

लेकिन आप देखे ही कि कैसे यादवों का ही पक्ष लेते हैं। हालांकि इस बार तो वह भी कुछ नहीं बोले। उनके पूरे टोला में गाय–भैंस, खेत–पथार, खेल–कूद, यही सब होता है। किसी को शिक्षा से कोई मतलब नहीं। लड़का सयाना होगा तो कमाने निकल जाएगा। पासपोर्ट बनवा कर विदेश निकल जायेगा।"

'परिवर्त्तन' लौटकर मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि दोनों पक्ष व्यावहारिक कारणों से इस झगड़े की पंचायती के लिए राजी हुए थे परन्तु इसका दोनों समुदायों के बीच जातीय वैमनस्य पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। सनोज यादव जानते थे कि वह 'हरिजन ऐक्ट' का मुकाबला कचहरी में नहीं कर पाते और अगर उन्हें जेल हो जाती तो घर कौन सम्भालता। नरेंद्र राम ने अगले महीने अपनी बेटी की शादी तय कर रखी थी जिसमें उन्हें लड़केवालों की मांग पर एक मोटरसाइकिल देनी थी। अगर वह केस–मुकदमे में उलझते तो शादी की तैयारियों पर असर पड़ता। उनकी मजदूरी भी जाती। वह खुश थे कि भरी पंचायती में उनकी बात को सही माना गया और अहिरों को दंड लगाया गया। वहीं सनोज यादव किसी भी तरह इस बात को भुला देना चाहते थे। वे इस विषय पर बात तक करने को तैयार नहीं थे। किसुन राम की चिन्ता थी कि अगर 'हरिजन ऐक्ट' लग जाता तो अहिरों की तरफ से बड़ी हिंसा की संभावना थी।

पारम्परिक रूप से चले आ रहे झगड़ों ने शायद दोनों पक्षों के मन में इतनी कटुता भर दी है कि वे एक–दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगे रहते हैं। स्थानीय तौर पर ऐसे प्रयासों का घोर अभाव है जिससे दोनों समुदायों के बीच एकता की सम्भावना बन सके।

Tata Institute of Social Sciences
Patna Centre

Papers published under the working paper series can be referred to and used for public educational purposes with due acknowledgement.